


## कार्यालय— प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सागर म0प्र0

पृष्ठांकन क. 962 / दो-11-5 / 17

सागर दिनांक 04 / 03 / 2024

प्रतिलिपि :-

- 1- प्रभारी अधिकारी, कार्यालय / अभिलेखागार सागर / प्रतिलिपि अनुभाग सागर
- 2- श्री महेश झा जिला न्यायाधीश देवरी।
- 3- श्रीमती किरण तुमराची धुर्वे मुख्य न्यायिक मजि.सागर।
- 4- श्री अंकित श्रीवास्तव व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर।
- 5- श्री आशीष शर्मा व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर।
- 6- श्रीमती प्रिया गुप्ता व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा।
- 7- सुश्री दीक्षा अग्रवाल व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर।
- 8- सुश्री सुरभिसिंह सुमन व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर।
- 9- श्री विनय सिंह राजपूत व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर।
- 10- प्रशासनिक अधिकारी, जिला न्यायाधीश, सागर।
- 11- कम्प्युटर अनुभाग, सागर की ओर ई-माध्यम से सर्वसंबंधित को सूचनार्थ प्रेषित करने हेतु।
- 12- लेखापाल / वेतन लिपिक / प्रेषक लिपिक कार्यालय अनुभाग, जिला न्यायालय सागर।
- 13- श्री विकास जैन, सहायक ग्रेड-03 कार्यालय अनुभाग सागर की ओर आदेश को एच. आर.एम.एस.सॉफ्टवेयर में अपडेट करने हेतु प्रेषित।
- 14- संबंधित कर्मचारी.....  
की ओर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि नवीन पदस्थापना पर एक सप्ताह के अंदर आवश्यक रूप से कार्यभार ग्रहण कर सूचना कार्यालय की ओर प्रेषित करें।

  
(प्रदीप सोनी)

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सागर

# कार्यालय— प्रधान जिला न्यायाधीश सागर म0प्र0

## // आदेश //

क्रमांक 274/दो-11-5/17

सागर दिनांक 04/03/2024

प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से निम्नलिखित तृतीय श्रेणी कर्मचारियों के स्थानांतरण पदस्थापना निम्नानुसार की जाती है—


क्रं.	कर्मचारी का नाम	कहां से	कहां को	किसके स्थान पर
1	श्रीमती राजकुमारी विश्वकर्मा सहा. ग्रेड 03	आसंजित आपराधिक अभिलेखागार सागर	प्रस्तुतकार व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा(श्रीमती प्रिया गुप्ता)	रिक्त स्थान पर
2	श्री सुनील सिंह लोधी सहा0ग्रेड 03	आसंजित मुख्य न्यायिक मजि0सागर (श्रीमती किरण तुमरावी धुर्वे)	साक्ष्य लेखक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा(श्रीमती प्रिया गुप्ता)	रिक्त स्थान पर
3	श्री आशीष सेन सहा0ग्रेड 03	सहायक प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि अनुभाग सागर	प्रवर्तन लिपिक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड बंडा(श्रीमती प्रिया गुप्ता)	रिक्त स्थान पर
4	श्री उमेश दुबे सहा0ग्रेड 03	सहायक प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि अनुभाग सागर	साक्ष्यलेखक व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर (श्री विनय सिंह राजपूत )	श्रीमती कीर्ति पाठक के स्थान पर
5	श्रीमती कीर्ति पाठक सहा0 ग्रेड 03	साक्ष्यलेखक व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर (श्री विनय सिंह राजपूत )	सहायक प्रतिलिपिकार प्रतिलिपि अनुभाग सागर	श्री उमेश दुबे के स्थान पर
6	श्रीमती नेहा दुबे सहा0ग्रेड 03	साक्ष्य लेखक प्रथम जिला न्यायाधीश देवरी(श्री महेश झा)	साक्ष्य लेखक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर (श्री आशीष शर्मा)	श्री रीतेश कुमार पाण्डे के स्थान पर
7	श्री रीतेश कुमार पाण्डे सहा0ग्रेड 03	साक्ष्य लेखक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर (श्री आशीष शर्मा)	प्रवर्तन लिपिक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर (श्री आशीष शर्मा)	श्री सुधीर नायक के स्थान पर
8	श्री सुधीर नायक सहा0 ग्रेड 02	प्रवर्तन लिपिक व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सागर (श्री आशीष शर्मा)	प्रस्तुतकार प्रथम जिला न्यायाधीश देवरी (श्री महेश झा)	श्री शिरीष पाण्डे के स्थान पर
9	श्री शिरीष पाण्डे सहा0ग्रेड 03	प्रस्तुतकार प्रथम जिला न्यायाधीश देवरी(श्री महेश झा )	साक्ष्य लेखक प्रथम जिला न्यायाधीश देवरी (श्री महेश झा)	श्रीमती नेहा दुबे के स्थान पर
10	श्री रविन्द्र साहू सहा.ग्रेड 03	आसंजित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ	प्रस्तुतकार व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ	श्री मणिकांत वावौदिया के स्थान

	खंड सागर (सुश्री दीक्षा अग्रवाल)	खंड सागर (सुश्री दीक्षा अग्रवाल)	पर
11	श्री मणिकांत चावौंदिया सहा. ग्रेड-03	प्रस्तुतकार व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर (सुश्री दीक्षा अग्रवाल)	रिक्त स्थान पर
12	श्री अखलेश सिंह ठाकुर सहा. ग्रेड-03	आसंजित व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर (सुश्री सुरभिसिंह सुमन)	श्रीमती भावना सिलावट के स्थान पर
13	श्रीमती भावना सिलावट सहा. ग्रेड-03	प्रस्तुतकार व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड सागर (सुश्री सुरभिसिंह सुमन)	रिक्त स्थान पर

### नोट:-

- कार्यालय के आदेश क्रमांक 261/दो-11-5/17 सागर दिनांक 29.02.2024 में क्रमांक 03, 04, 08, 09 एवं 11 पर उल्लेखित श्री रविन्द्र साहू, श्री अखलेशसिंह ठाकुर, श्री अवधेष तिवारी सहायक ग्रेड-03, श्री हेमंत मिश्रा सहायक ग्रेड-02 एवं श्री मेहमूद खान सहायक ग्रेड-03 का स्थानांतरण एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है।
- स्थानांतरित कर्मचारीगण को निर्देशित किया जाता है कि आदेश दिनांक से एक सप्ताह के अंदर कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें, आदेश का पालन न किए जाने की स्थिति में संबंधित कर्मचारीगण के विरुद्ध अनुशानात्मक कार्यवाही की जावेगी।

**उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।**

  
(प्रदीप सोनी)

प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश  
सागर